भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1384
दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा प्रबंधन प्रणाली में खामियां

†1384. श्री राहुल गाँधीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की मौजूदा आपदा प्रबंधन प्रणाली में खामियों को दूर करने और उसे बेहत्तर बनाने के लिए कोई दीर्घकालिक कार्य-योजना है, यदि हाँ, तो मौजूदा प्रणाली की प्रमुख खामियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में प्राकृतिक आपदाओं के बाद आपदा प्रतिक्रिया में किसी चूक की पहचान की है, यदि हाँ, तो जवाबदेही तय करने के लिए की-गई-कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सामूहिक प्रयास में सुधार के लिए केंद्र, राज्यों और अन्य संस्थाओं के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के लिए उपाय किए हैं, यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का पुनर्निर्माण प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए पंजाब,हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा करने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): सरकार ने वर्ष 2009 में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) तैयार की है ताकि रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया की संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, व्यावहारिक, बहु-आपदा उन्मुख और प्रौद्योगिकी-संचालित रणनीति विकसित करके, एक सुरक्षित और आपदा-रोधी भारत का निर्माण किया जा सके। यह एक अखिल भारतीय नीति है, जिसका उद्देश्य देश में आपदा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करना है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1384, दिनांक 09.12.2025

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) में आपदा प्रबंधन के सभी घटक शामिल हैं, जिनमें रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और रिकवरी शामिल हैं। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, मार्च 2025 में यथा संशोधित, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के माध्यम से केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर एक कानूनी और संस्थागत ढांचा पहले ही तैयार किया जा चुका है।

इसके अलावा, माननीय प्रधानमंत्री ने जून 2016 में देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) का शुभारंभ किया था। वर्ष 2019 में सभी स्टेकहोल्डरों के परामर्श से इस योजना को संशोधित और अद्यतन किया गया था। संशोधित एनडीएमपी सभी सेक्टरों, केंद्र और राज्य स्तर के मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ जिला स्तर के पदाधिकारियों को एक साथ लाती है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है।

इसके अतिरिक्त, 2016 में नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एएमसीडीआरआर) के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर 10-सूत्री एजेंडा की घोषणा की थी। प्रत्येक 10 सूत्री एजेंडा के राष्ट्रीय और संस्थागत दोनों आयाम हैं। यह व्यवस्थित और सतत प्रयासों के माध्यम से, देश में आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन और अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है। 10 सूत्री एजेंडा https://ndma.gov.in/Governance/PM-10-Agenda पर उपलब्ध है।

हालांकि, अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई और तदनुसार, वर्ष 2025 में इसमें संशोधन किया गया। संशोधनों ने संस्थागत ढांचे, वित्तीय तंत्र, शहरी आपदा प्रबंधन और जवाबदेही की संरचनाओं को मजबूत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

क) जोखिम मूल्यांकन, तकनीकी सहायता, न्यूनतम राहत मानकों, आपदा डेटाबेस और बहु-खतरे संबंधी आयोजना में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) की भूमिकाओं को सुदृढ़ करना।

ख) उच्च प्रभाव वाली आपदा प्रतिक्रिया और वित्तीय सहायता के लिए उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) और राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) को वैधानिक दर्जा प्रदान करना।

ग) आयोजना और निष्पादन शाखाओं के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी), राज्य कार्यकारिणी समिति (एसईसी) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) के कार्यकरण में सुधार।

घ) राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले सभी शहरों के लिए राज्यों में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूडीएमए) के गठन का प्रावधान किया गया।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों से आपदा प्रबंधन प्रथाओं, तैयारियों, रोकथाम और प्रतिक्रिया तंत्र में काफी सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप देश में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हताहतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन को मजबूत करना शासन प्रणाली की एक सतत और विकसित होती प्रक्रिया है।

(ख) से (घ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, प्रभावित लोगों को राहत के वितरण और जमीनी स्तर पर शमन उपाय करने सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, केंद्र सरकार गंभीर प्रकृति की आपदाओं के मामले में लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करके, आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास उपायों के लिए, आपदा मोचन के दौरान राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है।

लॉजिस्टिक सहायता में वायुयानों, नावों, एनडीआरएफ, सशस्त्र बलों की विशेष टीमों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, चिकित्सा स्टोर सहित राहत सामग्री तथा आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था, संचार नेटवर्क सहित महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं की बहाली और ऐसी अन्य सहायता शामिल है जो स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु आवश्यक हो सकती है।

केंद्र, राज्यों और अन्य एजेंसियों के बीच सामूहिक प्रतिक्रिया में सुधार लाने हेतु समन्वय को बेहतर बनाने और उनकी तैयारी के प्रयासों में तालमेल लाने के लिए, केंद्र सरकार आगामी मानसून की तैयारियों की स्थिति की समीक्षा करने और आपदा प्रबंधन से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत से पहले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभाग के राहत आयुक्तों/सचिवों का एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित करती है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1384, दिनांक 09.12.2025

वित्तीय सहायता के संबंध में, यह उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकारें अधिसूचित आपदाओं के मद्देनजर प्रभावित लोगों को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से वित्तीय राहत प्रदान करती हैं जो पहले से ही उपयोग हेतु उनके पास उपलब्ध होती है। हालांकि, किसी गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत वित्तीय सहायता तत्काल प्रकृति की राहत के माध्यम से की जाती है, न कि हुए/दावा किए गए नुकसान के मुआवजे के लिए।

इसके अलावा, एसडीआरएफ/एनडीआरएफ की योजना के अनुसार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 20 के तहत, राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारी समिति, निधियों के उचित उपयोग और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि एसडीआरएफ खाते से आहरित धन का वास्तव में उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाए, जिनके लिए इसे स्थापित किया गया है तथा यह भारत सरकार द्वारा अनुमोदित खर्च की मदों और मानदंडों के अनुसार ही हो। राज्य महालेखाकार द्वारा सहायता की मदों एवं मानदंडों के अनुसार व्यय की निगरानी की जाती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, एसडीआरएफ की योजना के संदर्भ में हर साल एसडीआरएफ की लेखापरीक्षा करते हैं।

केंद्र सरकार ने नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान हुई आपदाओं के लिए राहत उपाय करने के लिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों को एसडीआरएफ के तहत निधि जारी की है:

(करोड़ रुपये में)
(दिनांक 04.12.2025 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**एसडीआरएफ का आवंटन**			**एसडीआरएफ से जारी केन्द्रीय अंश**	
		केन्द्रीय अंश	**राज्य अंश**	**कुल**	**पहली किस्त**	**दूसरी किस्त**
1	2	3	4	5	6	7
1	हिमाचल प्रदेश	397.60	44.00	441.60	198.80	198.80
2	पंजाब	481.60	160.80	642.40	240.80	240.80
3	उत्तराखंड	911.20	100.80	1012.00	455.60	455.60

इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2025-26 के दौरान बाढ़/भूस्खलन/बादल फटने से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) का गठन/तैनाती की है। आईएमसीटी रिपोर्ट के आधार पर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एनडीआरएफ से निधि जारी करने के लिए आगे की कार्रवाई की जाती है।

****